

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 168B/2017-18

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

मिथलेश महतोआवेदक/ विक्रेता

बनाम

1.देवचरण महतो 2. मनोज कुमार महतो 3. मुकेश कुमार महतो.....क्रेता

दिनांक पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर अभ्युक्ति

26-10-19

विक्रेता :- मिथलेश महतो पिता स्व० फनिभूषण महतो, ग्राम-आसंगी, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ, (झारखण्ड) जाति-कुर्मी।

क्रेता :- 1.देवचरण महतो 2.मनोज कुमार महतो 3. मुकेश कुमार महतो, पिता श्री राम चन्द्र महतो, ग्राम-छोटागम्हरिया उपरकुली, थाना-गम्हरिया जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 07.11.2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1.देवचरण महतो 2.मनोज कुमार महतो 3. मुकेश कुमार महतो, पिता श्री राम चन्द्र महतो, ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया, जिला- सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
आसंगी	आदित्यपुर/ 126	पु०-89 नया-257	पु०-317 नया-689	7.80डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 1667 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम खतियान में दर्ज है।
2. प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2014-15 तक अद्यतन है।
3. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
4. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-2.61.20 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
5. बिक्रेता पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
6. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक जिला एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

6


लगातार.....2


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक.....7.11.2017 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता मिथलेश महतो पिता स्व० फनिभूषण महतो, ग्राम-आसंगी, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता 1.देवचरण महतो 2.मनोज कुमार महतो 3.मुकेश कुमार महतो, पिता श्री राम चन्द्र महतो, ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया, जिला- सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा- 7.80डी० भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,


26/10/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।


26/10/19
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।